



कार्यालय - कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

फोन नं. : 0761-2702615
फैक्स नं.: 0761-2665805

ई. मेल : mppgcl@mp.nic.in
वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र. का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/सं.स.-दो/नीति/ 4239 जबलपुर, दिनांक 29 DEC 2021
आदेश

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के आदेश क्रमांक मु.अ. (मा.सं. एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/उ.स. दो/3307-08 दिनांक 11.09.2019 द्वारा दिनांक 01.06.2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, को छठवें वेतनमान के अनुसार 154% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 12% की दर से महंगाई राहत देय है। म.प्र. शासन के ज्ञाप एफ 9-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि, उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 अक्टूबर 2021 से निम्नानुसार दर से महंगाई राहत देय होगी :

अवधि जब से महंगाई राहत देय है	महंगाई राहत में वृद्धि की दर (प्रतिशत में)		वृद्धि के परिणाम स्वरूप महंगाई राहत की दर (प्रतिशत में)	
	छठवाँ वेतनमान	सातवाँ वेतनमान	छठवाँ वेतनमान	सातवाँ वेतनमान
दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से देय (माह अक्टूबर 2021 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर 2021 में देय होगी)	10%	5%	164%	17%

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

02. इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान माह दिसम्बर 2021 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह अक्टूबर 2021 एवं नवम्बर 2021 तक (दो माह) की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान दो समान मासिक किश्तों में माह दिसम्बर 2021 एवं जनवरी 2022 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।

03. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा।

04. पेंशन पर देय महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण (before commutation) के पूर्व की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

(एस. पी. तिवारी)

मुख्य अभियंता (उत्पा.)
कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर

पृ.क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/सं.स.-दो/नीति/ 4240 जबलपुर, दिनांक 29 DEC 2021
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.:उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/(कार्पोरेट सर्विसेस)/ (परियोजना उत्पादन)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/ (सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.-जल विद्युत), म.प्र.पॉवर जन.कं.लि. जबलपुर ।
5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना/संगांतावि गृह/अताविगृह/सताविगृह/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी ।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि.(उत्पा.भंडार)/टॉस हायडल काम्पलेक्स, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर/सिरमौर ।
9. कार्यपालक सहायक संबद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. भोपाल ।
10. अधीक्षण अभियंता (सिविल)/(उत्पादन), जल वि.संधा. एवं सर्वे एवं अन्वे/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर(-दो/तीन/चार)/मडीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/गांधीसागर/ तोतलाडोह/चंदेरी/बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौद/झिन्ना ।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. खण्डवा ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री सिंगाजी ता.वि. परि./संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/टीएचसी, म.प्र.पॉ. जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/सिरमौर ।
14. सहा. अभियंता (आई.टी.), कर्न्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर - कंपनी की वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु ।
15. निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
16. स्थापना अनुभाग/आदेश नस्ती ।



(एस. डी. उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

कार्या.- कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर